

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

30/3/2021

पत्रावली का पत्र देखा हुआ था
वकील के द्वारा पत्र लाने के
निवेदन किया की कार्य एवं अकार्य
के बिना का पत्री राहना है के
व लोक अदालत की भावना के
समीक्षा हो गया है कार्य प्रथम
पत्र चलाना नहीं पाएंगे है
अतः पत्रावली कार्य राहने

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

विशाल के कार्ड की जाली
में पत्रावली पेशाल बुक
होकर रमकर के कठ व इफर
साबाल है।

२५
सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड